कार्यालय कलेक्टर (पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद) जिला रतलाम म.प्र.

—:: गुलाबचक्कर के उपयोग की नीति ::—

जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रतलाम की बैठक दिनांक 03.01.2025 के निर्देशानुसार गुलाब चक्कर परिसर के उपयोग के लिए निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :—

1. परिसर में सार्वजनिक जनहित के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे ।
2. समस्त वही कार्यक्रम अनुमत होंगे जिनमें सर्वजन की सहभागी हो सके अर्थात किसी भी धर्म, समाज वर्ग विशेष के कार्यक्रम उक्त परिसर में नहीं हो सकेंगे।
3. कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बंधित नहीं किया जाएगा । केवल वही व्यक्ति प्रतिबंधित किये जा सकेंगे जिनसे कार्यक्रम में विघ्न अथवा शांतिभंग की आंशका हो ।
4. गुलाब चक्कर परिसर में योग, शारीरिक स्वास्थ्य, खेल आदि के लिए नियमित रूप से क्लासेस आदि चलाने की अनुमति दी जा सकेगी । उक्त गतिविधि मे कोई भी नागरिक सम्मिलित हो सकेगा ।
5. गुलाब चक्कर परिसर में समय समय पर जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रतलाम मेला, फूड मेला, प्रदर्शनी आदि आयोजित कर सकेगा या आयोजन की अनुमति दे सकेगा ।
6. आयोजक को गुलाब चक्कर परिसर के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होगी और न वे अपने कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विषयक फ्लेग बैनर लगा सकेंगे । आयोजको को लाउडस्पीकर की धीमी आवाज में केवल गुलाब चक्कर के गुम्बदाकार परिसर के भीतर उपयोग करने की अनुमति रहेगी ।
7. परिसर को गीत संगीत कार्यक्रम एवं एकल नाटक, लोक नाटक, साहित्यिक गोष्ठी, खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, हस्तकरघा प्रदर्शनी मेला, कला प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, शिल्प मेला, फ्लॉवर शो, फूड मेला, लाफ्टर शो, कवि सम्मेलन, छाया चित्र प्रदर्शनी, बच्चो के लिए हॉबी क्लासेज, समर केम्प आदि के लिए दिया जा सकेगा ।
8. किसी भी स्थिति में उक्त परिसर में व्यक्तिगत कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाएंगे ।
9. प्रथम तीन माह तक उक्त सभी गतिविधियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा । केवल परिसर की साफ सफाई आदि के लिए न्यूनतम राशि जमा करानी होगी । तीन माह के पश्चात जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रतलाम के द्वारा परिसर के उपयोग हेतु निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा ।
10. जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रतलाम के द्वारा निर्धारित राशि में छूट के अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रतलाम को रहेंगे किन्तु रखरखाव आदि के लिए न्यूनतम शुल्क लिया ही जाएगा ।
11. किसी भी विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रतलाम का निर्णय अंतिम होगा ।

9/4/25

(राजेश बाथम)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद
जिला रतलाम म.प्र.